न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 12 सन 2020
अनवान :–

1. रेडाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्रहाम्ण साकिन जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 7/8/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 112/95 की कुल 5.8190हैक एवं रोही मौजा चक 22 जेएसएन के खाता संख्या 100/97 की कुल 1.2650हैक भूमि का सायल खातेदार काश्तकार है

सायला का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण रेडुराम पुत्र लक्ष्मीनारायण दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम रेडाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात/जमाबन्दीयों में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , पेन कार्ड , पानी बिल व चक 22 जेएसएन की जमाबन्दी में सायल का नाम रेडुराम पुत्र लक्ष्मीनारायण दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम /निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 112/95 की कुल 5.8190हैक एवं रोही मौजा चक 22 जेएसएन के खाता संख्या 100/97 की कुल 1.2650हैक में प्रार्थी का नाम रेडुराम पुत्र लक्ष्मीनारायण दर्ज के स्थान पर रेडाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्राथी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 112/95 की कुल 5.8190हैक एवं रोही मौजा चक 22 जेएसएन के खाता संख्या 100/97 की कुल 1.2650हैक भूमि का सायल खातेदार काश्तकार है

सायला का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण रेडुराम पुत्र लक्ष्मीनारायण दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम रेडाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात/जमाबन्दीयों में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , पेन कार्ड , पानी बिल व चक 22 जेएसएन की जमाबन्दी में सायल का नाम रेडुराम पुत्र लक्ष्मीनारायण दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम /निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 112/95 की कुल 5.8190हैक्‍ एवं रोही मौजा चक 22 जेएसएन के खाता संख्या 100/97 की कुल 1.2650हैक्‍ भूमि का सायल खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम रेडुराम पुत्र लक्ष्मीनारायण दर्ज है। वादी का कथन है कि उसका सही नाम रेडाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , पेन कार्ड , पानी बिल सभी में वादी का नाम रेडाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर कि रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 112/95 की कुल 5.8190हैक्‍ एवं रोही मौजा चक 22 जेएसएन के खाता संख्या 100/97 की कुल 1.2650हैक्‍ भूमि का सायल खातेदार काश्तकार है में सायल का नाम रेडुराम पुत्र लक्ष्मीनारायण के स्थान पर रेडाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 7/8/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / 956 दिनांक :– 10.8.20

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 12 / 2020 अनवानी रेडाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. रेडाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्रहाम्ण निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 12 / 2020 अनवानी रेडाराम बनाम सरकार में दिनांक 7/8/2020 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 112 / 95 की कुल 5.8190हैक एवं रोही मौजा चक 22 जेएसएन के खाता संख्या 100 / 97 की कुल 1.2650हैक भूमि का सायल खातेदार काश्तकार है में सायल का नाम रेडुराम पुत्र लक्ष्मीनारायण के स्थान पर रेडाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण संशोधन किये जाने के आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)